भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1241

उत्तर देने की तारीख 28-07-2025

'उल्लास' योजना के अंतर्गत साक्षरता

1241. **श्री राधेश्याम राठिया:**
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नव भारत साक्षरता कार्यक्रम – समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ (उल्लास) के अंतर्गत किसी राज्य को "पूर्णतः साक्षर" घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;
(ख) क्या इसके द्वारा प्रमाणित शिक्षार्थियों को अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने या सतत शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत प्रमाणित महिला शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है और शिक्षा के संबंध में लैंगिक समानता पर इसका क्या प्रभाव है;
(ङ) क्या इस योजना से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार होने में मदद मिलने की संभावना है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रलाय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में 'साक्षरता' और 'पूर्ण साक्षरता' की परिभाषा इस प्रकार है:

"साक्षरता समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणना करने अर्थात पहचान करने, समझने, व्याख्या करने और सृजन करने की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल की क्षमता है।"

"किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में 95 प्रतिशत साक्षरता (95%) प्राप्त करना पूर्ण साक्षर होने के बराबर माना जा सकता है।"

(ख) और (ग): उल्लास योजना के पांच घटक अर्थात मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा (समतुल्यता), व्यवसायपरक कौशल विकास और सतत शिक्षा हैं। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ समन्वय में, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत नव-साक्षरों को एमएसडीई की उपयुक्त योजना से लाभान्वित करने के लिए पत्र भेजा गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार प्राप्त करने, पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन हेतु व्यवसायपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनआईओएस के मुक्त बुनियादी शिक्षा (ओबीई) कार्यक्रम के तहत नव-साक्षरों के नामांकन को सुविधाजनक बनाने के निदेश दिए गए हैं। एनआईओएस ओबीई कार्यक्रम इन शिक्षार्थियों के लिए एक अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार क, ख और ग स्तर के पाठ्यक्रमों जो कक्षा III, V और VIII के समकक्ष हैं, में नामांकन कर सकते हैं, या सीधे माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम (कक्षा X के समकक्ष) में दाखिला ले सकते हैं।

(घ): भारत सरकार वर्ष 2022 से 2027 तक उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। उल्लास के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तीन कौशलों अर्थात समझ के साथ पढ़ना, लिखना और संख्याज्ञान का आकलन करने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान मूल्यांकन (एफएलएनएटी) आयोजित किया जाता है। उल्लास के अंतर्गत निरंतर प्रयासों से 1.49 करोड़ शिक्षार्थी नव-साक्षर बन चुके हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ महिलाएँ हैं। उल्लास के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रौढ़ महिलाओं के शामिल होने से शैक्षिक लैंगिक समानता में वृद्धि हुई है।

जनगणना 2011 के अनुसार, सात वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिला साक्षरता दर 65.46% है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में महिला साक्षरता दर 74.6% है। यह महिला साक्षरता दर में वृद्धि और शैक्षिक लैंगिक समानता में सुधार को दर्शाता है।

(ङ) और (च): एनईपी 2020 के अनुरूप यह योजना, उन प्रौढों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) को लक्षित करती है, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे। इसका विशेष ध्यान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों/दिव्यांगजनों, हाशिए पर रहने वाले/खानाबदोशों/निर्माण श्रमिकों/मजदूरों आदि पर है, जो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में योगदान दे रहे हैं।

*****